


07.02.2024

पुत्रावनी पेश हुई वकील

प्राथमिक रूप से 5.9.04 रावतसर से पत्रांक  
 38 दिनांक 07.02.2024 से तब्यात्मक रिपनी  
 प्राप्त हुए, जिस शा. पत्रा. रिपा। प्राप्त  
 रिपनी के आवलीकन से पाया कि प्राथमिक  
 दाश विचाराधीन प्रकरण से अधिकतम  
 न्यायालय के जिस प्रकरण को मुलाकिल  
 करवाना चाहता था वह प्रकरण प्राथमिक  
 द्वारा दिनांक 24.05.2023 का  - पत्र

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

डा. अमिनसहा न्यायालय के प्रस्तुत हुए वाद पत्र  
व कार्यवाही - प्रमाण 212 प्राप्त हो मौजूदा  
स्वाति में खारिज किया। जब  
डा. अमिनसहा न्यायालय के विचारणीय प्रकरण  
में कोई कार्यवाही विचारणीय नहीं है।  
उक्त विवेचनानुसार यह प्रकरण सारहीन  
होने पर इसी स्टेज पर खारिज किया  
जाता है। पत्रावली के माला शुभाल होकर  
दाखिल दफतर है।

  
जिला कलक्टर  
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official